न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2017(रसद)
पंजीयन दिनांक 02.01.2017

राज्य सरकार जरिये रमीला डिण्डोर, प्रवर्तन निरीक्षक भूपालसागर

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री सुरेशचन्द्र पिता गणेशलाल चण्डालिया निवासी भूपालसागर
2–श्री महेश पुत्र चतरलाल मेनारिया, निवासी सुवानिया तहसील गंगरार

.....विपक्षीगण

कार्यवाहीः– आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 में जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण कराने बाबत्।

उपस्थितिः– 1– श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 30.01.2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक, भूपालसागर ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 19.07.2016 को श्री भैरूलाल परमार थानाधिकारी, भूपालसागर के संज्ञान में आने पर श्री सुरेशचन्द्र चण्डालिया के गोदाम से सटे हुए भाग पर जो कि श्री सुरेशचन्द्र चण्डालिया के नाम ही है फैक्ट्री साईड तीन चद्दरों के नीचे लोहे की फाटक के अन्दर की ओर परिसर में थानाधिकारी, श्री कल्याण सहाय करौल, प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील शर्मा, प्रबंधक खाद्य नागरिक आपूर्ति, चित्तौड़गढ़ वगैरा द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई जिसमें एम. डी. एम. का खाद्यान्न चावल के 193 कट्टे तथा गेहूँ के 7 कट्टे लावारिस/अवैध भण्डारण की स्थिति में पाये गये। उक्त खाद्यान्न को संयुक्त जांच दल द्वारा जब्त किया जाकर, वजन किया जो कुल 8995 कि.ग्रा. हुआ जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत जब्तशुदा खाद्यान्न कुल मात्रा 8995 कि.ग्रा. को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ललित कुमार झंवर ने अधिकारी पत्र एवं जवाब पेश किया। दौराने बहस विपक्षीगण एवं उनके अधिवक्ता के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण पैराकार सरकार सुनी गयी।

पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी ने कथन किया कि मिड डे मील खाद्यान्न के भण्डारण के लिए विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 का गोदाम किराये पर लिया हुआ है मिड डे मील के खाद्यान्न की कालाबाजारी की सूचना मिलने पर थानाधिकारी, भूपालसागर, तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी श्री करौल, शिक्षा विभाग के अधिकारियों वगैरा द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई जिसमें अधिकृत गोदाम में भूपालसागर ब्लॉक एवं कपासन ब्लॉक के मिड डे मील खाद्यान्न की रेकार्ड अनुसार बराबर मात्रा पाई गई लेकिन इसी गोदाम से सटे हुए भाग जो कि श्री चण्डालिया के ही नाम पर है की फैक्ट्री साईड के ही तीन चद्दरों के नीचे लोहे की बडी फाटक के अन्दर की ओर परिसर में चावल के 193 कट्टे तथा गेहूँ के 7 कट्टे लावारिस/अवैध रूप से भण्डारण की स्थिति में पाए गए। इन कट्टों पर भारतीय खाद्य निगम की छाप लगी पाई गई। संयुक्त जांच दल ने भी जांच मे उक्त खाद्यान्न मिड डे मील का ही होना पाया। अतः मिड डे मील के खाद्यान्न को विपक्षीगण द्वारा अनुचित लाभ कमाने के लिये अपने कब्जे में अवैध रूप से रखना उसकी कालाबाजारी करना व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त जब्त किये गये खाद्यान्न को राजसात (Confiscate) करने का आदेश फरमावें।

विपक्षीगण ने जवाब प्रस्तुत किया कि जब्तशुदा चावल मिड डे मील वितरण हेतु है व परिवहन का ठेका निरस्त हो जाने से उक्त चावल को अस्थाई तौर से खाली करवाया था। उक्त चावल की कालाबाजारी नहीं की गई है। अतः जब्तशुदा चावल को राजसात न किया जाकर मिड डे मील हेतु संबंधित सेन्टरों को वितरीत किया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पैरोकार सरकार, प्रवर्तन अधिकारी की बहस पर मनन किया। चूंकि मौके पर संयुक्त दल द्वारा दौराने जांच मिड डे मील के खाद्यान्न के गोदाम से सटे हुए भाग जो कि श्री चण्डालिया के ही नाम पर है की फैक्ट्री साईड के ही तीन चद्दरों के नीचे लोहे की बडी फाटक के अन्दर की ओर परिसर में चावल के 193 कट्टे तथा गेहूँ के 7 कट्टे लावारिस/अवैध रूप से भण्डारण की स्थिति में पाए गए हैं जिनका स्टॉक रजिस्टर/रेकॉर्ड में कहीं कोई अंकन नहीं है जो इस तथ्य को बल देते हैं कि विपक्षीगण द्वारा मिड डे मील के खाद्यान्न का अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अवैध रूप से भण्डारण करना प्रमाणित पाया जाता है।

निष्कर्षतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जब्तशुदा खाद्यान्न 193 कट्टे चावल, 7 कट्टे गेहूँ कुल मात्रा 8995 कि. ग्रा. को राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त खाद्यान्न का नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)